इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 5 | दिसम्बर, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

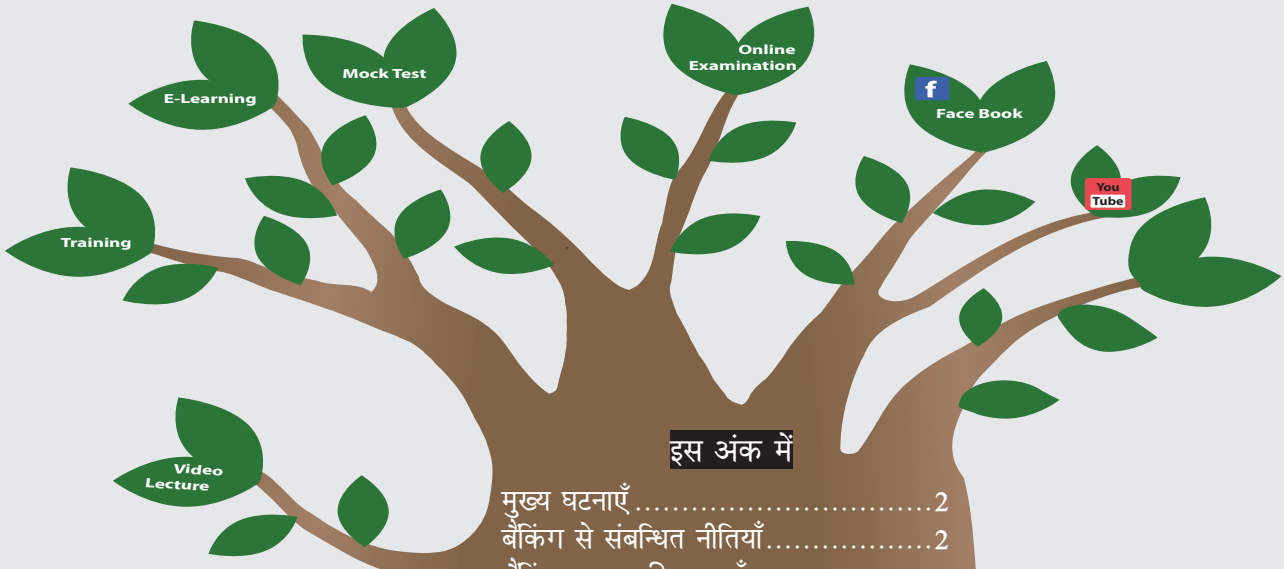

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
पूंजी बाजार.....3
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....4
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

डिजिटल बैंकिंग माध्यमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में ऑनबोर्डिंग हेतु ग्राहक की सहमति अनिवार्य कर दी गई है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग माध्यमों पर अपने अंतिम दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया है कि बैंक किसी ग्राहक को कोई अन्य बैंकिंग सुविधा जैसे कि डेबिट कार्ड लेने हेतु किसी अन्य बैंकिंग माध्यम को चुनना अनिवार्य नहीं कर सकते। वास्तव में, डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु ग्राहकों से स्पष्ट सहमति अवश्य लेनी चाहिए जिसे विधिवत दर्ज/प्रलेखित किया जा सकता है। दिशानिर्देशों में बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि अपने जोखिम अनुमान के अनुसार, जोखिम न्यूनीकरण का उपयुक्त उपाय करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग अनुमति पर अलग दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मास्टर निदेशों का समेकन

स्पष्टता, सुगम्यता बढ़ाने तथा विनियमित संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ कम करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्रों/दिशानिर्देशों के वृहद समेकन का कार्य हाथ में लिया है। 9000 से अधिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों, लगभग 3500 निदेशों में निहित अनुदेशों को शामिल करने वाले इस समेकन प्रयास में 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के परिपत्रों/दिशानिर्देशों को 238 मास्टर निदेशों में समेकित किया गया। इनमें (क) वाणिज्यिक बैंक; (ख) लघु वित्त बैंक; (ग) भुगतान बैंक; (घ) स्थानीय क्षेत्र बैंक; (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; (च) शहरी सहकारी बैंक; (छ) ग्रामीण सहकारी बैंक; (ज) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान; (झ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ; (ट) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ; एवं (ठ) ऋण सूचना कंपनियाँ शामिल हैं। ये मास्टर निदेश विनियम विभाग द्वारा नियंत्रित, विनियमों की एकल लाइब्रेरी का कार्य करेंगे। शेष परिपत्रों/दिशानिर्देशों में निहित अनुदेशों को अनुपयोगी मान लिया गया है और समेकित मास्टर निदेश जारी करने के उपरांत 9445 परिपत्र वापस हो गए हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025

डेटा के अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग को रोकने, डिजिटल नुकसान को कम करने तथा नवोन्मेष हेतु सुरक्षित जगह बनाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 अधिसूचित किया है। नियमों के अनुसार पूर्णत: डिजिटल भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है जो अनुपालन पर निगरानी रखता है, उल्लंघनों की जांच करता है और सुधारात्मक उपाय किया जाना सुनिश्चित करता है। डेटा को सुरक्षित रखने और इसके उपयोग के प्रति जवाबदेह बने रहने हेतु यह अधिनियम डेटा का उत्तरदायित्व रखने वालों की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ तय करता है; और इसमें, उनके द्वारा अनुपालन न करने पर भारी वित्तीय दंड हेतु प्रावधान है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तु और सेवा निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये निदेश चुनौतीपूर्ण वैश्विक मांग और लॉजिस्टिक दशाओं के अंतर्गत लेनदेन पूर्ण करने तथा कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करने हेतु निर्यातकों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से जारी किए हैं। संशोधित मानदंडों के अनुसार, वस्तुओं/साफ्टवेयर/सेवाओं के निर्यातकों को निर्यात का पूर्ण मूल्य वसूलने और प्रत्यावर्तित करने अथवा भारत सरकार के साथ परामर्श में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जैसा निर्दिष्ट किया गया हो, के लिए अब निर्यात की तिथि से 15 माह (जो पहले 9 माह था) का समय उपलब्ध है। जहां अग्रिम भुगतान मिल चुका है, वहाँ माल के लदान हेतु, संविदात्मक करार के अनुसार, निर्यातकों को 3 वर्ष तक (1 वर्ष की जगह), जो भी बाद में हो, का समय उपलब्ध होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापार राहत उपायों की घोषणा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार राहत उपायों की घोषणा की है। तदनुसार, मियादी ऋण किस्तों के भुगतान तथा 1 सितंबर 2025 और

31 दिसंबर 2025 के बीच देय राशियों हेतु, कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज की वसूली पर ऋण स्थगन या आस्थगन की अनुमति दी गई है। बैंक तथा अन्य कर्जदाताओं को अनुमति दी गई है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान मार्जिन कम कर अथवा ऋण सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन कर, कार्यशील पूंजी सीमाओं के भीतर आहरण सीमा की फिर से गणना करें। 31 मार्च 2026 तक संवितरित ऋणों हेतु, लदान-पूर्व और लदान-पश्चात निर्यात ऋण के लिए अधिकतम ऋण अवधि को एक वर्ष से बढ़ा कर 450 दिन कर दिया गया है। जिन निर्यातकों ने पैकिंग ऋण सुविधा 31 अगस्त 2025 को या इससे पहले ली है पर माल नहीं भेज सके हैं, उनके ऋणदाता सुविधा का परिसमापन किसी वैध वैकल्पिक स्रोत से कर सकते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगरपालिक ऋण प्रतिभूतियों को रेपो लेनदेन हेतु पात्र वर्गीकृत किया है

वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, पुनर्क्रय संव्यवहार निदेश, 2025 को संशोधित किया है ताकि रेपो एवं प्रतिवर्ती रेपो संव्यहारों के लिए, सरकारी व कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों के साथ नगरपालिक ऋण प्रतिभूतियों को भी पात्र के रूप में शामिल किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेकर, रेपो लेनदेन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या विधिवत अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ईटीपी) या ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजार में व्यापारित किए जा सकते हैं। सभी रेपो लेनदेन के प्रथम भाग का समाधान T+0 या T+1 आधार पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नयी खाता संख्या शामिल करने हेतु फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों के संयुक्तीकरण में संशोधन किया है

संयुक्तीकरण आवेदन शुल्क तथा राशि जिस हेतु एक उल्लंघन संयुक्त किया गया है (संयुक्त राशि), की प्राप्ति के सरलीकरण हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस खाते जिसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के जरिए संयुक्त आवेदन शुल्क और संयुक्त राशि प्राप्त की जाएगी, के खाता विवरण में परिवर्तन करने हेतु, फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों के संयुक्तीकरण को संशोधित किया है।

यूपीआई-टीआईपीएस इंटलिंकेज से भारत और यूरो क्षेत्र के बीच विप्रेषण में आसानी होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की यूरोमनी के TARGET इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (टीआईपीएस) के साथ इंटरलिंकिंग की घोषणा की है। यूपीआई-टीआईपीएस इंटलिंकेज से भारत और यूरो क्षेत्र के बीच सीमापार विप्रेषण में आसानी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड (एनआईपीएल) तकनीकी समन्वयन, जोखिम प्रबंधन और समाधान व्यवस्थाओं सहित इस प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ बात कर रहे हैं।

पूंजी बाजार

महिलाओं, बी-30 निवेशक भागीदारी प्रोत्साहित करने हेतु सेबी द्वारा वितरकों को प्रोत्साहन

महिला निवेशकों और शीर्ष 30 (बी-30) नगरों से बाहर के निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा लेकर आया है। तदनुसार, 1 फरवरी 2026 से, बी-30 नगरों से नए व्यैक्तिक निवेशक (नवीन PAN) तथा टी-30 और बी-30 दोनों स्थानों से नयी महिला निवेशकों को लाने वाले वितरक, प्रति निवेशक ₹2,000 तक के अतिरिक्त कमीशन हेतु पात्र होंगे। प्रोत्साहन ढांचा एक्सचेंज पर व्यापारित निधियों (ईटीएफ), घरेलू फंड ऑफ फंडस जिनमें प्रबंधनाधीन आस्तियों का 80% से अधिक घरेलू निधियों एवं अल्पावधि ऋण योजनाओं यथा एक दिवसीय, चलनिधि, अत्यधिक अल्पावधि और अल्पावधि योजनाओं में निवेशित हो, पर लागू नहीं होगा।

बाजार भागीदारी बढ़ाने हेतु सेबी द्वारा रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs) का इक्विटी निवेश में पुनर्वर्गीकरण

म्यूचुअल फंड और विशेषीकृत निवेश निधियों द्वारा रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs), में अधिक भागीदारी के लिए, 1 जनवरी 2026 से म्यूचुअल फंड और विशेषीकृत निवेश निधियों (SIFs) द्वारा रियल एस्टेट निवेश न्यासों में किया गया कोई निवेश इक्विटी-संबंधित लिखतों में निवेश माना जाएगा। अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs), म्यूचुअल फंड और विशेषीकृत निवेश निधियों द्वारा रियल एस्टेट निवेश न्यासों में निवेश के उद्देश्य हेतु हाइब्रिड लिखत के रूप में बने रहेंगे। यथा 31 दिसंबर 2025, म्यूचुअल फंड की ऋण योजनाओं द्वारा रियल एस्टेट निवेश न्यासों में निवेश और विशेषीकृत निवेश निधियों की रणनीतियाँ निवल आस्ति मूल्य निर्धारित करेंगी।

विनियामक के कथन

विनियम जरूरतों के साथ बदलें, बाजार विफलता को रोकने का संकल्प लें: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिक्स में द्वितीय वी. के. आर. वी. राव स्मृति व्याख्यान में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि विनियम विशेष संदर्भों में, अविनियमित बाज़ारों में अंतर्निहित सीमाओं के लिए विवेकपूर्ण समाधान हैं। वित्तीय विनियम अपनी अंतर्संबद्धता, दूरगामी प्रभावों और संवेदनशील प्रकृति के कारण अन्य क्षेत्रों में विनियमों की तुलना में भिन्न तरीके से लागू होते हैं। जब संदर्भ बदले, तो विनियमों में भी बदलाव होना चाहिए। उत्तम विनियामक परिणाम सदैव सरकार, विनियामकों, विनियमित होने वालों तथा व्यापक समुदाय जैसे कि विज्ञ नागरिक, जवाबदेह वित्तीय संस्थाओं, संलग्न विद्वानों तथा होनहार विद्यार्थियों जो भारतीय वित्तीय प्रणाली का भविष्य निर्मित करेंगे, के बीच सहयोग से ही मिलता है।

बैंकिंग क्षेत्र नवीन प्रौद्योगिकियाँ विवेक के साथ ही अपनाए: श्री टी. रबी शंकर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

12वीं एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक कनकलेव में भाषण देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर ने बैंकिंग क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की ओर कृत्रिम मेधा और क्वान्टम कम्प्यूटिंग जैसी शक्तिशाली प्रौद्योगिकियों के बढ़ते कदमों को देखते हुए, चुनौती यह है कि इन्हें विवेक तथा उद्देश्य के साथ कैसे अपनाया जाए और कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रौद्योगिकीय बदलाव सुरक्षित, समावेशी, आघात सह्य तथा भविष्य हेतु तैयार हों। मौद्रिक संचारण और वित्तीय स्थायित्व में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखते हुए उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने हेतु साधन सम्पन्न होना चाहिए।

वित्तीय आघात सह्यता हेतु पर्याप्त पूंजीकरण अनिवार्य: श्री मुर्मू, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय बैंक लेखांकन प्रथाओं पर, भारतीय रिज़र्व बैंक और साउथ एशियन सेंट्रल बैंक्स (SEACEN) सेंटर द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू ने मत व्यक्त किया कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के लिए वित्तीय आघात सह्यता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त पूंजीकरण आवश्यक है। किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जोखिम पूंजी ढांचे के अभाव में, केंद्रीय बैंक पूंजी की अवसर लागत बनाम सामाजिक-आर्थिक लागत तथा अल्प-पूंजीकरण के नकारात्मक परिणामों के बीच प्रत्येक केंद्रीय बैंक अपना खुद का संतुलन पा लेता है।

सूक्ष्म वित्त कर्ज वितरण में असमानता को दूर करता है, इसे अधिक समावेशी बनाना अनिवार्य: श्री स्वामीनाथन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

सूक्ष्म वित्त, वंचितों को औपचारिक वित्त का लाभ पहुंचा कर असमानता को दूर करता है और उन्हें लेनदेन का अभिलेख निर्मित करने में मदद करता है। श्री स्वामीनाथन जे. उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एर्मेफिन समारोह में कहा कि अब मुद्दा पहुँच को समावेशी विकास में बदलने का होना चाहिए। इसे बेहतर और प्रौद्योगिकी चालित हामीदारी, वाजिब मूल्य निर्धारण और निरंतर ग्राहक संरक्षण के जरिए हासिल किया जा सकता है। सर्वोत्तम ऋण निर्णय परिवार के पूर्ण नकदी जीवन चक्र को समझ कर लिए जा सकते हैं। उत्पाद डिजाइन, लघु व्यवसाय की वास्तविक वृद्धि से अनिवार्यत: मेल खाती होनी चाहिए। सब मिलाकर, लक्ष्य प्रथम ऋण को नियमित उपयोग, नियमित उपयोग को स्थिर आय और स्थिर आय को औपचारिक ऋण हेतु निर्बाध मार्ग में बदलने का है।

समय पर और सामयिक आंकड़े नीति निर्माण को सुदृढ़ करते हैं: डॉ. पूनम, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आधार संशोधन पर प्री-रिलीज परामर्शी कार्यशाला में डॉ. पूनम गुप्ता ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आघात सह्यता और फुर्ती दोनों दर्शाने वाली उच्च वृद्धि अर्थव्यवस्था रही है। हमारे द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी, आंकड़े व तकनीकें वृद्धिशील और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने वाली होनी चाहिए। निरंतर होने वाले बदलावों पर पकड़ मौजूदा डेटा सीरीज को नियमित रूप से अद्यतन व संशोधित करने के साथ नई डेटा सीरीज निर्मित करके ही बनाई जा सकती है। नियोजित विस्तार में, अंतर्निहित डेटा संरचना को फिर से डिजाइन करना, स्वत: रिट्रीवल हेतु अप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) बनाना, सर्च तथा विजुअलाइजेशन के बेहतर टूल और पोर्टल, मोबाइल एप एवं भविष्य के डिजिटल माध्यमों पर उपयोगकर्ताओं का निर्बाध अनुभव शामिल हैं।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अक्तूबर 2025 हेतु जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक सितंबर के 57.5 से बढ़ कर 59.2 हो गया।
- यूपीआई संव्यवहारों के औसत दैनिक मूल्य में नवंबर 2025 में (यथा 18 नवंबर 2025) वर्षानुवर्ष 27.1% की वृद्धि हुई है।
- वर्तमान श्रृंखला में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 के 1.44% से घट कर अक्तूबर 2025 में 0.25% के सर्वकालिक न्यून स्तर पर पहुँच गई है।

- अप्रैल-सितंबर वित्तवर्ष 2026 हेतु भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एक वर्ष पूर्व के 15.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 24 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- कुल वित्तीय आस्तियों में परिवारों का वित्तीय निवेश बढ़ कर 15.1% हो गया है।
- एमएसएमई को बैंक ऋण में, सितंबर 2024 में 15.5% वृद्धि की तुलना में सितंबर 2025 में, वर्षानुवर्ष 19.7% की वृद्धि देखी गई। एमएसएमई क्षेत्र के भीतर, सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिए गए ऋण में सितंबर 2025 में 22% की वृद्धि (वर्षानुवर्ष) दर्ज की गई है जो सितंबर 2024 के 13.4% से ज्यादा है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
सुश्री उषा जानकीरामन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक
श्री सुनील कुमार चुघ	कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक
श्री अमरेश प्रसाद	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
श्री प्रभात किरण	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
सुश्री मिनी टी एम	कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक
श्री प्रमोद कुमार द्विबेदी	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 28 नवंबर, 2025	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6137575	686227
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4982046	557031
1.2 स्वर्ण	946227	105795
1.3 एसडीआर	166610	18628
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	42692	4772

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

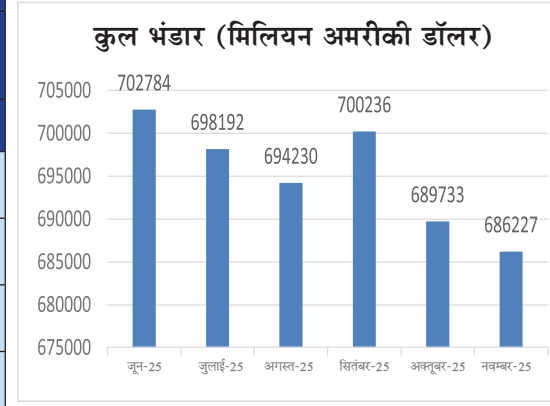

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु यथा 28 नवंबर 2025 वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, दिसंबर 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.05
SONIA (जीबीपी)	3.969
STR (यूरो)	1.928
TONA (जापानी येन)	0.478
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.2400
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.60
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.037800

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.631
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.0782
HONIA (हांगकांग डॉलर)	1.40646
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5380

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

क्रय प्रबंधक सूचकांक

क्रय प्रबंधक सूचकांक का संदर्भ कंपनियों के मासिक आर्थिक सर्वेक्षण से है जिसमें परिचालनों की देखरेख करने वाले वरिष्ठ प्रबंधक व्यवसाय और इसकी हालिया प्रवृत्तियों पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

अवलिखित मूल्य

अवलिखित मूल्य एक आस्ति का मूल्यह्रास या परिशोधन को हिसाब में लेने के बाद मूल्य है। यह एक आस्ति की मूल लागत से संचित मूल्यह्रास या परिशोधन घटाने के बाद प्राप्त मूल्य को दर्शाता है। यह मूल्य कंपनी के तुलन पत्र पर इसके वित्तीय विवरणों में शामिल होता है। इसे एक आस्ति का बही मूल्य या निवल बही मूल्य भी कहा जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसंबर 2025 में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों हेतु केवाईसी, एएमएल और सीएफटी पर कार्यक्रम	9-20 दिसंबर, 2025	वर्चुअल
ऋण निगरानी और वसूली पर कार्यक्रम	10-12 दिसंबर, 2025	वर्चुअल
बैंकिंग लोकपाल और कोपरा पर कार्यशाला	12 दिसंबर, 2025	वर्चुअल
बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों में विधिक जोखिम, अनुपालन एवं वसूली पर विधि अधिकारियों हेतु कार्यक्रम	16-17 दिसंबर, 2025	वर्चुअल

कार्यपालक विकास पर कार्यक्रम	16-18 दिसंबर, 2025	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, उत्तरी अंचल, नई दिल्ली
बैंकों में ऋण व परिचालन जोखिमों के न्यूनीकरण पर कार्यक्रम	22-23 दिसंबर, 2025	वर्चुअल
बिजनेस अनलिटिक्स, मशीन लर्निंग और कृत्रिम मेधा तथा बैंकों पर इनके प्रभाव पर कार्यक्रम	22-24 दिसंबर, 2025	वर्चुअल
एआई के उपयोग से स्मार्ट बैंकिंग-बैंकरों हेतु गहन विश्लेषण	23 दिसंबर, 2025	वर्चुअल

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा 40वें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मृति व्याख्यान का आयोजन

संस्थान ने 3 दिसंबर 2025 को 40वें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मृति व्याख्यान का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया। व्याख्यान भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी ने दिया जिसका विषय 'नॉलेज ग्राफ इंटीग्रेटेड क्रेडिट रिस्क असेसमेंट' था। व्याख्यान को अच्छा प्रतिसाद मिला और इसे बड़ी संख्या में बैंकरों ने सुना।

आईआईबीएफ द्वारा प्रशिक्षकों हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

आईआईबीएफ ने शैक्षणिक क्षमता निर्माण की अपनी पहल के अंग के रूप में, अपने समझौता ज्ञापन में शामिल महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के संकाय हेतु 'बैंकिंग और वित्त में उत्कृष्टता एवं उद्योग संगत शिक्षण' पर प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 3-5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया। सत्रों में प्रभावी शिक्षण तरीकों, सॉफ्ट स्किल शामिल करने तथा बीएफएसआई करियरों हेतु विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी पर ज़ोर दिया गया।

'भारतीय बैंकों हेतु प्रभाव प्रबंधन शुरू करने की तैयारी' पर आईआईबीएफ द्वारा संयुक्त वेबिनार का आयोजन

आईआईबीएफ ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (UNEP FI), Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) और चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट अंडर प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पांसिबल बैंकिंग (PRB) एकेडमी के साथ 27 नवंबर 2025 को 'भारतीय बैंकों हेतु प्रभाव प्रबंधन शुरू करने की तैयारी' पर संयुक्त वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में यह समझ दी गई कि भारतीय बैंकों के लिए प्रभाव प्रबंधन क्यों मायने रखता है तथा प्रभाव विश्लेषण और प्रबंधन शुरू करने हेतु कौन से व्यावहारिक टूल एवं संसाधन उपलब्ध हैं।

आईआईबीएफ की 'लीडर्स स्पीक शृंखला'

भारतीय समाशोधन निगम (CCIL) के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री हरे कृष्ण जेना ने 30 नवंबर 2025 को आयोजित आईआईबीएफ की लीडर्स स्पीक शृंखला में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के बैच XIV को संबोधित किया।

आईआईबीएफ द्वारा माइक्रो और मैक्रो रिसर्च 2025 के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित

माइक्रो शोध संस्थान के आजीवन सदस्यों (बैंकरों) के लिए एक प्रकार की निबंध प्रतियोगिता है जिसमें उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र पर अपनी मौलिक धारणाएं, विचार तथा सर्वोत्तम प्रथाएँ प्रस्तुत करनी होती हैं। मैक्रो शोध में संस्थान प्रयोगसिद्ध शोध प्रोत्साहित करता है जिसमें शोधकर्ता डेटा (प्राथमिक/द्वितीयक) से अपनी परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं और जिससे सम्पूर्ण उद्योग (बैंकिंग और वित्त) हेतु सीखें हासिल की जा सकती हैं। माइक्रो और मैक्रो रिसर्च हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ ने वर्ष 2025-26 के लिए डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं

संस्थान ने डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। फ़ेलोशिप का उद्देश्य चयनित अभ्यर्थी को भारत या विदेश में बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर शोध अध्ययन करने का अवसर देना है। आवेदन मिलने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

अक्तूबर-दिसंबर 2025 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'बैंकिंग में उभरती प्रौद्योगिकियाँ' है। उप-विषय हैं - जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) के अनुप्रयोग, नैतिक एआई, धोखाधड़ी का पता लगाना और पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करना, परियोजना मूल्यांकन तथा ऋण मूल्यांकन हेतु प्रौद्योगिकियाँ।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

बाजार की खबरें

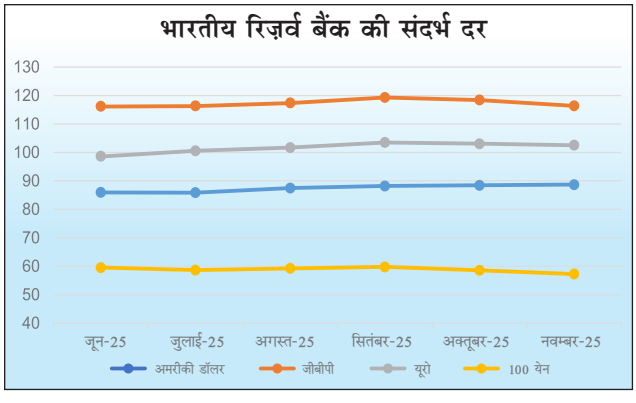

स्रोत: एफबीआईएल

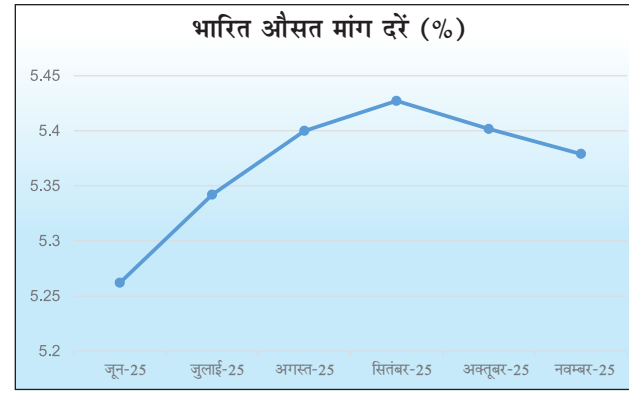

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

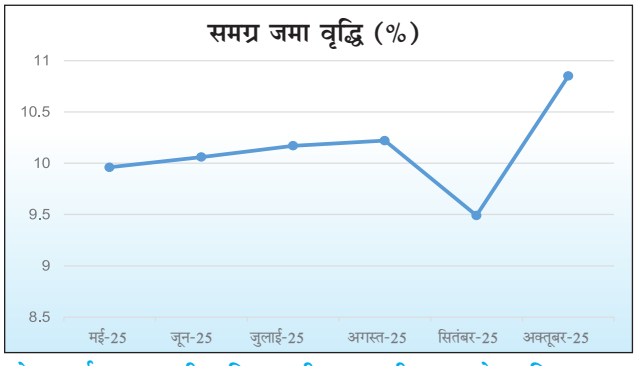

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवंबर 2025

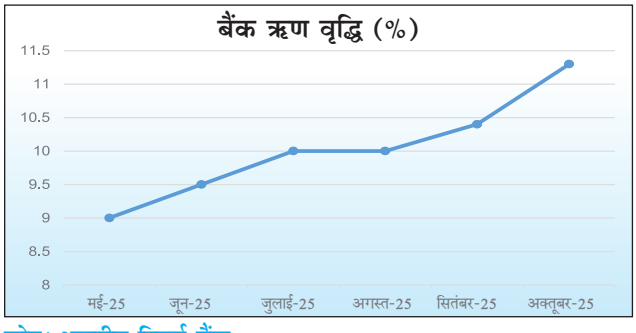

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

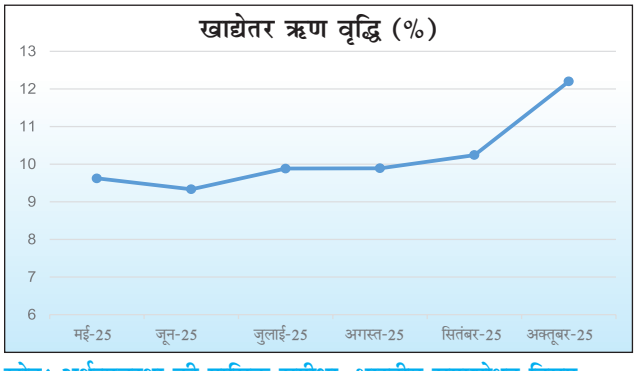

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवंबर 2025

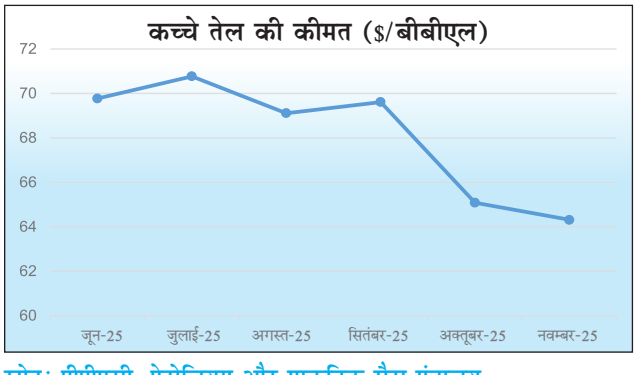

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

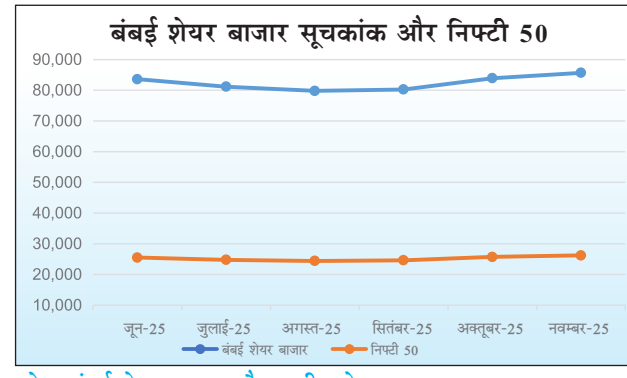

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

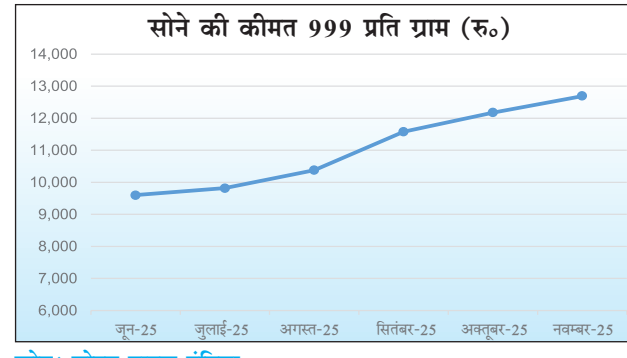

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in